लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
035/2023 (GCMS 2023/98)	27.03.2023	20.06.2023

अनवान

संजय कुमार जैन निवासी गोढी भवन वार्ड नंबर 08 रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 7424881275)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 12.02.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./035/2023(सू.अ.) (18.04.2023)/227 दिनांक 27.03.2023 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना-पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 17.04.2023 से 12.06.2023 तक मंत्रालयिक कार्मिकों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने के कारण एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के महंगाई राहत शिविर के कारण दीगर कार्यो में व्यस्तता से पत्रावली के निस्तारण में विलम्ब हुआ है। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/43 दिनांक 15.06.2023 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :–

1. यह कि प्रार्थी श्री संजय कुमार जैन निवासी गोढी भवन वार्ड नंबर 08 रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2023 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 20.02.2023 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय को पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/43 दिनांक 21.02.2023 से अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा चित्तौड़गढ़ को अंतरित कर प्रार्थी को सूचना से अवगत करा दिया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न हैं)
3. यह कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के संबंध में वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने से अब इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार हैं, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन को आवेदन के संबंध में वांछित हेतु सक्षम लोक सूचना अधिकारी को अन्तर्गत धारा 6(3) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अंतरित कर दिया गया है। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त अंतरण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत विहित समायवधि में किया जाकर कर आवेदक को सूचित किया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, तथा लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा द्वारा निर्धारित समयावधि में आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में आवेदक लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहां प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 12.02.2023 जो कि लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 20.02.2023 को प्राप्त हुआ बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>**20.06.2023**</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official